निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 ज्येष्ठ 1935 (श0)
(सं0 पटना 435) पटना, सोमवार, 3 जून 2013

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

30 मई 2013

सं0 वन/पर्या0–15/2012/282 (ई0)/प0व0—राज्य सरकार द्वारा कृषि एवं इसके अनुषंगी विषय यथा वागवानी मत्स्य पालन आदि के समग्र विकास के लिये वर्ष 2012–22 तक की 10 वर्षीय अवधि के लिये कृषि रोड मैप बनाया गया है। इस रोड मैप का एक प्रमुख अवयव ''वानिकीकरण'' है जिसे ''हरियाली मिशन'' का नाम दिया गया है।

बिहार राज्य अंतर्गत वृक्षाच्छादन की वर्तमान 9.79 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2017 तक 15 प्रतिशत करने का हरियाली मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषक बंधुओं के सहयोग से विभागीय संकल्प–वन/पर्या0–15/2012 573 (ई0) /प0व0 दिनांक 08.10.2012 द्वारा कृषि वानिकी योजना प्रारम्भ की गयी है। इसके अंतर्गत आगामी पांच वर्षों में 3.6 करोड़ पॉप्लर एवं 2.4 करोड़ अन्य प्रजातियाँ (कुल 06 करोड़) पौधें लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उक्त विभागीय संकल्प के अनुसार इस योजना का विस्तार तीन चरणों में वर्ष 2012–13 से लेकर 2014–15 तक में पूर्ण बिहार में किया जाना था।

(क) प्रथम चरण में वर्ष 2012–13 में पटना, आरा, बक्सर, पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, वैशाली, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, आदि 11 जिलों में,

(ख) द्वितीय चरण में वर्ष 2013–14 में उत्तर बिहार के पूर्णियाँ, कटिहार, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर मुजफ्फरपुर, शिवहर, सारण, गोपालगंज, सिवान जिलों में तथा दक्षिणी बिहार में मुंगेर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालन्दा, जमुई तथा भागलपुर जिलों में,

(ग) तृतीय चरण में वर्ष 2014–15 में उत्तर बिहार में खगड़िया, मधेपुरा तथा कटिहार जिले तथा दक्षिणी बिहार में अरवल कैमूर, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय तथा बाँका जिलों में कृषि वानिकी कार्य प्रारम्भ किया जाना था।

2. वर्ष 2012–13 में यह योजना पटना, आरा, बक्सर, पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, वैशाली, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, आदि 10 जिलों में योजना प्रारम्भ की गई। बक्सर जिलें में यह योजना प्रारंभ नहीं की जा सकी। लेकिन ICFRE के सहयोग से कृषि वानिकी योजना के तहत मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, औरंगाबाद, छपरा, पूर्णियाँ,, मधेपुरा, भभुआ के कुल 310 किसानों ने 1,34,219 पॉपलर के पौधे लगाए। चूँकि सरकार द्वारा निर्गत संकल्प में ये जिले प्रथम चरण में सम्मलित नहीं किये गए थे अतः इन जिलों के किसानों को कृषि वानिकी के अंतर्गत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि उपलब्ध नहीं हो पायी। अन्य जिलों के किसानों द्वारा भी कृषि वानिकी योजना के अंतर्गत पौधे लगाने में विशेष रूचि दिखाई जा रही है।

3. उपर्युक्त वर्णित स्थिति में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्न निर्णय लिये गये हैः–

(i) वर्ष 2013–14 से कृषि वानिकी योजना बिहार के सभी जिलों में लागू की जायेगी।

(ii) प्रथम चरण में जो जिले कृषि वानिकी योजना में शामिल नहीं थे यथा मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, औरंगाबाद, छपरा, पूर्णियाँ, मधेपुरा, भभुआ परन्तु इन जिलों के किसानों द्वारा कृषि वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत पौधे लगाए गये है, उन जिलों को वर्ष 2012–13 से इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित माना जाएगा।

4. इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत् विभागीय संकल्प संख्या–573 (ई0), दिनांक 08.10.2012 को इस हद तक संशोधित समझा जाये।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 435-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in